[Shri P. Viswambharan]

In conclusion, I would like to refer to the controls exercised by the Central Government and the Reserve Bank. This Bill is called the State Agricultural Credit Corporations Bill. Actually, if we go through the provisions of the Bill we do not find the State Government anywhere in the picture at all. The entire functioning of the corporation is controlled by the Central Government and the Reserve Bank. The managing director and the chairman and the majority of the directors of the State corporation are appointed by the State Government and by the Reserve Bank. The conditions of commerce and agriculture differ from State to State. So, the details of the loans should be left entirely to the State corporations and the controlling authority shall be the State Government and not the Central Government or the Reserve Bank. Both these changes have got to be made in this Bill. The Bill as it stands includes several clauses of the Reserve Bank of India Act, the Co-operative Societies Act, the Agricultural Finance Corporation Act and such other Acts. My submission, therefore, is that this Bill needs a thorough scrutiny, and I suggest that it may be referred to a Select Committee so that a thorough scrutiny of its provisions may be made and the necessary modifications suggested.

12.49 hrs.

RE REPORTED ARREST OF SUGARCANE GROWERS

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिन की बात है, जनाब प्रेसाइड कर रहे थे, उस समय डा० राम सुभग सिंह हाउस में थे और उन्होंने इस हाउस के सामने आप के इंटरवेंशन पर यह कहा था कि मैं गवर्नमेंट को लिखूंगा और गवर्नमेंट से इन्फार्मेशन लूंगा। सारे देश में और खास तौर पर हरयाने में किसानों को सैकड़ों की तादाद में क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरी इन्फार्मेशन यह है कि हर रोज वहां न सिर्फ किसानों को गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उन को पीटा जाता है। जो अपना गन्ना नहीं देते उन आदमियों को पकड़कर खींचा जाता है। जहां किसानों का राज हो किसान की हकूमत हो वहां उन के साथ इस तरह पक्षपात हो, जहां यह डिवेट चल रही हो...(**व्यवधान**)

मैं आपकी मारफत उन से पूछना चाहता हूं कि क्या हाउस में उन्होंने जो एंशोरेन्स दी थी, उस को पूरा किया है? क्या उन्होंने मिनिस्टर साहब को लिखा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है, अगर लिखा था तो क्या जवाब आया है, किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, वह बन्द होगी या नहीं? अगर उन्होंने कुछ किया है तो क्या किया है?

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not the proper way to raise this matter, in the midst of another debate.

श्री रणधीर सिंह : और कौनसा रास्ता है? काल-एटेन्शन देते है, वह मन्जूर नही होती है, 193 में नोटिस दिया, 184 में नोटिस दिया लेकिन किसी को मन्जूर नहीं किया गया—ऐसी हालत में बतलाइये दूसरा कौन सा रास्ता है? दुनिया भर की बातों पर हम यहां बहस करते हैं, लेकिन किसानों के लिए मौका नही दिया जाता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Dr. Ram Subhag Singh is accessible, any hour. Why not approach him?

श्री रणधीर सिंह वह बतालायें कि उन्होंने क्या किया है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I have already written to the hon. Food Minister drawing his attention to it.

श्री रणधीर सिंह : इस में कोई एशोरेंस नही है—हम तो यह जानना चाहते है कि इस मर्ज की कोई दवा भी होगी या नहीं? सिर्फ

मिनिस्टर साहब को लिखना काफी नहीं है, वह मिनिस्टर साहब को कहें कि वे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को कहें कि किसानों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : After Dr. Ram Subhag Singh has replied, there is no clarification needed.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : You are our guardian here.

यह एक जैनुइन सवाल है, एक हजार आदमी जेलखाने में बन्द हैं । आप इस को नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप भी तो किसान है । हम कम्युनिस्टों की तरह बकवास करने यहां नहीं आये है, लोगों का रिप्रेजेन्टेशन करते हैं और सही रिप्रेजेन्टेशन करते है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not proper. What else could he do ?

SHRI SHEO NARAIN : He should remember that he has to face the mid-term polls in Punjab, U.P. and other States.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is a limit to it.

श्री रणधीर सिंह : घुट घुट कर कर जाये यही मर्जी मेरे सैयाद की है—किसानों का पूछने वाला कोई नहीं है । यहां पर दूसरी बातें होती हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं करना चाहते हैं ।

———

12.53 hrs.

STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATIONS BILL — *Contd.*

श्री मुद्रिका सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कृषि ऋण कारपोरेशन विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार की ओर से यह एक सही कदम है । देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कृषि का उत्थान अत्यावश्यक और अनिवार्य है । यदि उनके यहां सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, उत्पादन नहीं हो पाता है तो उसका असर देश की इण्डस्ट्रीज पर भी पड़ता है, उन के यहां भी रिसेशन आता है । इस लिये इस देश का जो आर्थिक मेरुदण्ड है, वह कृषि है और जब तक हम कृषि में उचित विकास नहीं करेंगे हमारे देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती ।

कृषि के विकास में सब से बड़ी रुकावट जो आज तक रही है वह किसानों की आर्थिक दिक्कत—क्रेडिट फैसिलिटी रही है । इधर खेती में जो उन्नति हुई है वैज्ञानिक ढंग की खेती जब से शुरू हुई है, उस ने कृषि के क्षेत्र में सच-मुच क्रान्ति की है, लेकिन इस से कृषि का कार्य और भी ज्यादा खर्चीला हो गया है । ऐसी स्थिति में अगर किसानों के लिये ऋण की समुचित व्यवस्था नहीं की जायेगी, तो फिर ये सारे स्वप्न जो हम देख रहे हैं कि कृषि की दुनिया में महान क्रान्ति होने वाली है, वह स्वप्न की ही चीज रह जायेगी ।

लेकिन मुझे दुख है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो भी कदम आज इस सरकार ने उठाया है, यद्यपि वह इस के लिये धन्यवाद की पात्र है, परन्तु वह ठोस कदम नहीं है । यदि आप आंकड़ों को उठा कर देखें, किसानों पर आज जो कर्ज का बोझ है, इस बिल में उस बोझ से निवृत्ति दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है । जो थोड़ा सा रुपया—24-55 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस में की गई है, वह सागर में चन्द बूंदों के बराबर है, इस से समस्या का समाधान नहीं होगा । फिर भी मैं यह मानता हूं कि एक सही रास्ते की ओर सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन यह कदम ठोस नहीं है, मैं चाहूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि हम वर्षों से बड़े बड़े इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स को बहुत कर्जे देते रहे हैं, कम सूद पर कर्जे दिये हैं, बिजली में भी जहां हम किसानों से 15 और 18 पैसे यूनिट चार्ज करते रहे हैं, बड़े बड़े इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स से चार या पांच पैसे यूनिट लेते रहे हैं, हर तरह की सहूलियतें हम उन